

## प्राक्कथन

मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए इस प्रतिवेदन को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में मंत्रालय के अन्तर्गत राजस्व विभाग – सीमाशुल्क की अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लेख किए गए दृष्टान्त वह हैं, जो पिछले वर्षों में ध्यान में आए मामलों के साथ-साथ 2012-13 की अवधि के लिए नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए थे, किन्तु उन्हें पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सूचित नहीं किया जा सका; 2012-13 की अनुवर्ती अवधि से संबंधित दृष्टान्तों को भी वहाँ शामिल किया गया है, जहां आवश्यक है।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गई है।